

काइम सं० ०१२०
डायरी सं० ६
दिनांक १३/१/१४

उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक: २ / जनवरी, 2014

संबंधित अधिसूचना

तक सुनिश्चित कि
होती है तो उसका

भाग प्रधानमंत्री
स्वीकृत किया जा

आई डिजाइन/न
की दृष्टि को

निर्माण दिनांक
या अन्य सड़कों
नाम डाला जाये

3 दि०: 13 ज

विभाग 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 31 कार्यों की प्रथम चरण की प्रस्तावित एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विभाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, वि०, पौड़ी/उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 31 प्रारम्भिक अनुदान जिनकी कुल लम्बाई 145.20 किमी० + 03 सेतु तथा लागत ₹ 1201.34 लाख है, पर 10 वित्त वर्ष की अवधि पर पाई गई लागत ₹ 1200.74 लाख (₹ बारह करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) की होय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर तत् विवरणानुसार प्रत्येक कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 31 कार्य हेतु ₹ 3.10 लाख (₹ तीन लाख दस हजार की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा अन्त शासनादेश सं०-1764 / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार तत् परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार प्रथम चरण के अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर व्यय ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विश्लेषणों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर अन्त समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा अन्त आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत/प्रारम्भिक-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
विन्ध्यालीसौड उत्तरकाशी

शासन।

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते तदनुसार कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान -22-लेखापीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत 00-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 704/XXVII(2)/2013 दि०: 13 जनवरी, 2014 में तत्तनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सम्पन्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- 333 (1)/111(2)/14-46(प्र0आ0)/2013 तददिनांक।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

PC Attn: 111



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
विन्यालीसौड उत्तराकाशी

आज्ञा से,

11/1/14

(महिमा)
अनु सचिव

सनादेश संख्या:- 333 / 111(2) / 14-46(प्र0आ0) / 2013 दिनांक 21 जनवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अदनी-क्यारी बैंड से डान्गुधार होते हुए पुजारगांव-दाबुआन बैंड तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	40.95	0.10 ✓
2	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के गैलाडी से अनोल तक मोटर मार्ग को मिलाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	29.25	0.10 ✓
3	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग के कि०मी० 2 पर कोटीगाड गढ़े से कोटीसौड़ होते हुए चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग में मिलाने हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10 ✓
4	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक-महेड-मंजकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से इन्दिरा टिपरी मोटर मार्ग के कि०मी० 01 तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	4.50	36.13 [₹ 26.33 + ₹ 9.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली बघाण गांव मोटर मार्ग के धौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	62.42 [₹ 58.50 + ₹ 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
6	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बमगांव चापडा कसालाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	9.00	68.33 [₹ 52.65 + ₹ 15.68 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
7	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा-बनगांव मोटर मार्ग से रिखांगगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.50	32.24 [₹ 20.48 + ₹ 11.76 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत भडकोट रौतल पुजारगांव हल्का वाहन मोटर मार्ग मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	6.00	21.79 [₹ 8.70 + ₹ 13.09 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
9	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत धरासू-जोगथ मोटर मार्ग के तुल्याड़ा से मंजकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.50	24.40 [₹ 20.48 + ₹ 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
10	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बडेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग के कि०मी० 37 से ग्राम जोखणी से दिवारीखोल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	21.47 [₹ 17.55 + ₹ 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓
11	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कफराडा से वणगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2.00	18.36 [₹ 11.70 + ₹ 6.66 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10 ✓

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

माह 11